राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
04 / 2019	10.01.2019	18.02.2025

उनवान:

1. श्रीमान पि.मु. मनकोरी जाति अहीर निवासी रैवाना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादनी

बनाम

1. दीनाराम पुत्र छोटन जाति अहीर निवासी रैवाना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
2. उप पंजीयक महोदय नीमराना तह0 नीमराना
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन कृषि भूमि एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री सतीश कुमार निमोरिया योग्य अधिवक्ता वादनी की ओर से
श्री दुलीचन्द यादव योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

।। निर्णय।।

पत्रावली पेश हुई। वादीगण द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 223 रकबा 27 एयर, 224 रकबा 25 एयर, 566 रकबा 97 एयर, 567 रकबा 75 एयर, 568 रकबा 60 एयर, 569 रकबा 05 एयर, 570 रकबा 73 एयर, 571 रकबा 50 एयर, 572 रकबा 97 एयर, 624 रकबा 3.55 है0,676 रकबा 21 एयर, 766 रकबा 17 एयर, 769 रकबा 16 एयर वाके ग्राम रैवाना तहसील नीमराना मे स्थित है। उक्त आराजी के 1/2 भाग का खातेदार वादी तथा 1/2 भाग के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 है। इसलिए आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर मिन वादी व प्रतिवादी सं01 अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 के दिमांग मे बेईमानी आ गयी है जो अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दे रहा है। दिनांक 30.12.2018 को भी प्रतिवादी सं0 1 ने अच्छी से अच्छी आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया गया। प्रतिवादी सं0 1 को मना करने पर लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गये और आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा करवाने से साफ इंकार कर दिया एवं अच्छी से अचछी आराजी पर जबरन कब्जा कर उसे अपनी बताकर दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए आराजी मुतनाजा के अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से मिन वादी के खातेदारी हिस्सा–1/2 का तकासामा किया जावे एवं प्रतिवादी सं0 1 को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 बाद तामिल जरिये अधिवक्ता न्यायालय तारीख पेशी पर उपस्थित होकर वादी के वाद पत्र को राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाने बाबत राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा को तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ दावा मे वर्णित खसरा नम्बरान का पत्रावली मे पेश राजीनामा के मुताबिक वादी के वाद पत्र को डिक्री फरमाया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 के अनुसार 1/2 हिस्सा का खातेदार वादी तथा 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी सं0 1 दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा उक्त आराजी के विभाजन का दावा पेश किया गया। जिसमे वादी व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी राजीनामा के मुताबिक दावा मे वर्णित भूमि का विभाजन करवाने के लिए न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया । जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार राजीनामा के आधार पर वादी का वाद डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 223 रकबा 27 एयर, 224 रकबा 25 एयर, 566 रकबा 97 एयर, 567 रकबा 75 एयर, 568 रकबा 60 एयर, 569 रकबा 05 एयर, 570 रकबा 73 एयर, 571 रकबा 50 एयर, 572 रकबा 97 एयर, 624 रकबा 3.55 है0,676 रकबा 21 एयर, 766 रकबा 17 एयर, 769 रकबा 16 एयर वाके ग्राम रैवाना तहसील नीमराना का विभाजन वादी व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश राजीनामा 14.10.2020 के मुताबिक किया जाने की घोषणा की जाती है तथा राजीनामा के मुताबिक अलग–अलग खाताबन्दी किया जाकर उसका इन्द्राज हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं हाल राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटकर नक्शा को तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 14.10.2020 इस डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
04 / 2019	10.01.2019	18.02.2025

उनवानः

1. श्रीमान पि.मु. मनकोरी जाति अहीर निवासी रैवाना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0। ....वादनी

बनाम

1. दीनाराम पुत्र छोटन जाति अहीर निवासी रैवाना तहसील नीमराना जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 ।
2. उप पंजीयक महोदय नीमराना तह0 नीमराना
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन कृषि भूमि एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री सतीश कुमार निमोरिया योग्य अधिवक्ता वादनी की ओर से
श्री दुलीचन्द यादव योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

।। आदेश

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 223 रकबा 27 एयर, 224 रकबा 25 एयर, 566 रकबा 97 एयर, 567 रकबा 75 एयर, 568 रकबा 60 एयर, 569 रकबा 05 एयर, 570 रकबा 73 एयर, 571 रकबा 50 एयर, 572 रकबा 97 एयर, 624 रकबा 3.55 है0,676 रकबा 21 एयर, 766 रकबा 17 एयर, 769 रकबा 16 एयर वाके ग्राम रैवाना तहसील नीमराना का विभाजन वादी व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश राजीनामा 14.10.2020 के मुताबिक किया जाने की घोषणा की जाती है तथा राजीनामा के मुताबिक अलग–अलग खाताबन्दी किया जाकर उसका इन्द्राज हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने एवं हाल राजस्व नक्शा मे तितम्बा काटकर नक्शा को तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 14.10.2020 इस डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावेगा।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0